न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व वाद :– 49/17 अन्तर्गत धारा 188 Rt Act

अनवान :–

वादीगण :– 1. चेनाराम 2.लिछमणराम पि. रिड़मलराम, जाति विश्नोई
निवासी सांवा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. फातमा पत्नी ईसाक 2.मुस्ताक 3.दीनू 4.रिजू पि.ईसाक
5.अजीम पुत्र नबीबक्स 6.खातू पत्नि नूरा 7.मीयादाद पुत्र नूरा
8.मकां पुत्र गुलसन, जाति मुसलमान
निवासी सांवा, तहसील सेड़वा , जिला बाड़मेर।

वकील वादीगण :– श्री पवन धारीवाल

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते चौहटन

निर्णय

दिनांक 03.05.2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा सं. 297 रकबा 30.11 बीघा, खसरा सं. 387 रकबा 09.19 बीघा, कुल रकबा 40.10 बीघा मौजा सांवा, तहसील सेड़वा में आया हुआ है। वादीगण के खेत खसरा सं. 387 रकबा 09.19 बीघा भूमि के सेढे पर प्रतिवादीगण का खेत खसरा सं. 392 रकब 31.14 बीघा का आया हुआ है। प्रतिवादीगण बदमाश, झगड़ालू, आपराधिक प्रवृति के है जो आये दिन वादीगण के खेत के सेढ़े तोड़ते रहते है, वादीगण के खेत में घूसकर उनकी भूमि पर काश्त करने का प्रयास करते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण में वर्षा के मौसम में हमेशा काश्त को लेकर विवाद होता है। प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर उसका बेचान करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण अपने उक्त नाजायज मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेगी । अतः वादीगण

सहायक कलक्टर
चौहटन

प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण नहीं करे तथा न ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करे, इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद पेश कर वादीगण द्वारा इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील वादीगण द्वारा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में जमाबन्दी नकल व नक्शा मौजा सांवा के खसरा सं. 297, 298 संवत् 2071–2074, जमाबन्दी नकल व नक्शा मौजा सांवा के खसरा सं. 392 संवत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रतिलिपियां न्यायालय में पेश की।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सांवा में पेश हुई। वादीगण की ओर से वादीगण सं. 2 लिछमणाराम एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सं.7 मियादाद उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । जिस्से स्पष्ट होता है कि वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा सं. 297 रकबा 30.11 बीघा, खसरा सं. 387 रकबा 09.19 बीघा, कुल रकबा 40.10 बीघा मौजा सांवा, तहसील सेड़वा में आया हुआ है। वादीगण के खेत खसरा सं. 387 रकबा 09.19 बीघा भूमि के सेढे पर प्रतिवादीगण का खेत खसरा सं. 392 रकब 31.14 बीघा का आया हुआ है। वादीगण के खेत खसरा सं. 387 रकबा 09.19 बीघा भूमि के सेढे पर प्रतिवादीगण का खेत खसरा सं. 392 रकब 31.14 बीघा का आया हुआ है। प्रतिवादीगण बदमाश, झगड़ालू, आपराधिक प्रवृति के है जो आये दिन वादीगण के खेत के सेढ़े तोड़ते रहते है, वादीगण के खेत में घूसकर उनकी भूमि पर काश्त करने का प्रयास करते है।

वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त के रेकर्डेड खातेदार है । प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करते है तो वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। चूंकि वादीगण अपनी भूमि के मालिक है। वो अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण वादीगण के खेत में घूसकर उनकी भूमि पर काश्त करने का प्रयास करते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण में वर्षा के मौसम में हमेशा काश्त को लेकर विवाद होता है। प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर उसका बेचान करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण अपने उक्त नाजायज मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेगी ।

सहायक कलक्टर
चौहटन

इस प्रकार न्यायालय के मतानुसार वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः आदेश है कि वादीगण का वाद पत्र धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। आज्ञा है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खेत खसरा सं. 387 रकबा 09.19 बीघा भूमि मौजा सांवा, तहसील सेड़वा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे और न ही किसी और से करवाये। निर्णय आज लोक अदालत कोर्ट कैम्प सांवा में दिनांक 03.05.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन